**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान**
**(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)**
**निफ्ट भोपाल- राजभाषा अनुभाग**
**National Institute of Fashion Technology**
**(Ministry of Textiles, Govt. of India)**
**NIFT Bhopal- Official Language Section**

13136/निफ्ट भोपाल/प्रशा./हिन्दी समिति/2009/भाग-2 दिनांक:25-07-2023

## प्रथम अखिल भारतीय निफ्ट राजभाषा सम्मेलन (निफ्ट मुख्यालय, दिल्ली) 2023 रिपोर्ट

दिनांक 21 जुलाई 2023 को निफ्ट मुख्यालय में प्रथम अखिल भारतीय निफ्ट राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर्नल विक्रांत लखनपाल, पंजीयक, निफ्ट मुख्यालय द्वारा की गई, सत्र के दौरान पंजीयक महोदय ने राजभाषा से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की एवं श्री विवेक सक्सेना, सहायक निदेशक (राजभाषा), निफ्ट मुख्यालय से उपस्थित अनुवादकों को राजभाषा से संबंधित पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र मंत्रालय से श्रीमती अंशु गुप्ता, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में निफ्ट भोपाल से श्री अखिल सहाय, संयुक्त निदेशक व प्रभारी राजभाषा और अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभागिता दर्ज की।

यह सम्मेलन तीन सत्रों में विभाजित था, जिसमें सर्वप्रथम पंजीयक महोदय एवं सहायक निदेशक (राजभाषा), निफ्ट मुख्यालय ने राजभाषा से संबंधित पहलुओं: राजभाषा नियमों, विज्ञापन व्यय, धारा 3 (3) इत्यादि का अनुपालन, संसदीय समिति की प्रशनावली और तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि विषयों पर चर्चा की।

पंजीयक महोदय द्वारा राजभाषा क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया :

- राजभाषा नियमों के संबंध में स्थापित जांच बिन्दुओं के आधार पर सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।
- प्रवीणता प्राप्त अथवा व्यक्तिगत आदेशित अधिकारियों/कर्मचारियों से शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करवाया जाना एवं कार्यसाधक अधिकारियों//कर्मचारियों को हिन्दी में निरंतर कार्य करते रहने के लिए कार्यशालों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाना।
- परिसर की वैबसाइट अद्यतित होनी चाहिए।
- पत्र भेजने वाले अधिकारी एक प्रश्न स्वयं से पूछे कि "यह पत्र हिन्दी में क्यों नहीं जा सकता?"
- भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी में लिखे जाना।
- पत्राचार में अधिकाधिक राजभाषा हिन्दी का प्रयोग किया जाना और यदि विशेष परिस्थिति में पत्र अँग्रेजी में भेजा जाना है तो , उस पत्र पर "Hindi version follows" लिखा जाना चाहिए और वह पत्र यथाशीघ्र अनुवाद के लिए भेजा जाना चाहिए जिससे की वह रिकॉर्ड में लगाया जा सके।
- नियमानुसार पुस्तक खरीद, विज्ञापन व्यय और विज्ञापन के द्विभाषीकरण का अनुपालन, एवं विज्ञापन प्रकाशित किए जाने से पूर्व विज्ञापन को पुनरीक्षण हेतु कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को भेजा जाना चाहिए और साथ ही विज्ञापन की प्रति, बिल सहित कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

इस सत्र में श्री विवेक सक्सेना, सहायक निदेशक (राजभाषा), निफ्ट मुख्यालय ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेजने से लेकर , संसदीय समिति की प्रशनावली, उसके अनुलग्नक और नियमों पर विस्तृत चर्चा के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु उल्लेखनीय है:

- हिन्दी विज्ञापन व्यय और कार्यालय के प्रशासन विभाग को विज्ञापन द्विभाषी रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाना।
- हिन्दी विज्ञापन व्यय के संबंध में नियमानुसार अँग्रेजी विज्ञापन का आकार छोटा और हिन्दी विज्ञापन का आकार उससे बड़ा करके प्रकाशन हेतु दिया जाना।
- हर तिमाही में हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना जिससे की निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- राजभाषा क्रियान्वयन के निम्नलिखित तीन प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान देकर राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सकती है :
  1) संसदीय समिति की प्रश्नावली में उल्लिखित नियमों/मदों के अनुसार क्रियान्वयन
  2) तिमाही रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों/मदों के अनुसार क्रियान्वयन
  3) सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा क्रियान्वयन
- द्विभाषी मोहर और दिशा सूचक बोर्ड के संदर्भ में चर्चा

सम्मेलन के दूसरे सत्र में सभी परिसरों के संयुक्त निदेशक (प्रभारी राजभाषा) भी सत्र में (भौतिक एवं ऑनलाइन माध्यम से) जुड़े और राजभाषा से संबंधित उपर्युक्त चर्चा के विषय में सभी को अवगत कराया गया।

सम्मेलन के अंतिम सत्र में पैनल में पंजीयक महोदय, निफ्ट मुख्यालय, सहायक निदेशक (राजभाषा), निफ्ट मुख्यालय, के साथ वस्त्र मंत्रालय से आमंत्रित सदस्य: श्रीमती अंशु गुप्ता, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी मौजूद रहे और सभी परिसरों के निदेशक महोदय भी ऑनलाइन माध्यम से सभा में सम्मिलित हुए।

वस्त्र मंत्रालय से आए पैनल सदस्यों ने अनुवादकों को संबोधित कर उनको राजभाषा क्रियान्वयन में वार्षिक कार्यक्रम के महत्व, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करना, तिमाही रिपोर्ट ध्यान पूर्वक भरने, समयानुसार जांचबिन्दु जारी करने एवं परिसर निदेशकों से इन सब नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर चर्चा की।

इस सम्मेलन में निफ्ट के सभी परिसरों से राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों की उपस्थिति से एक-दूसरे के कार्य-व्यवहार एवं कार्यानुभव साझा करने का मौका मिला। जिसमें निफ्ट चेन्नई से आए अधिकारी से राजभाषा क्रियान्वयन से जुड़े उनके अनुभव एवं उसके परिणाम सुनना प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक अनुभव रहा। महोदय ने बताया की राजभाषा क्रियान्वयन में राजभाषा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुपालन के साथ-साथ छोटे-छोटे लेकिन उल्लेखनीय प्रयासों जैसे गृह पत्रिका प्रकाशन, नराकास की बैठकों को अपने कार्यालय में आयोजित करवाना, समारोह इत्यादि की स्मारिका का प्रकाशन से हिन्दीमयी वातावरण सृजित किया जा सकता है और संसदीय समिति की प्रश्नावली और तिमाही रिपोर्ट में इन कार्यो को राजभाषा के उल्लेखनीय कार्यों में दर्शाया जा सकता है। जैसा की विदित है कि चेन्नई राजभाषा क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार "ग" क्षेत्र में आता है, फिर भी निफ़्ट चेन्नई द्वारा राजभाषा में उल्लेखनीय कार्य उनकी उपलब्धि को और भी विशेष बनाता है।

राजभाषा क्रियान्वयन मे निरंतर बढ़ोतरी और राजभाषा नियमों के पूर्ण अनुपालन के निर्देश एवं पंजीयक महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन की कुछ तस्वीरें सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है:-

सम्मेलन के दौरान सभा को संबोधित  करते हुए श्री विवेक सक्सेना, सहायक निदेशक (राजभाषा), निफ्ट मुख्यालय

पैनल सदस्य : (दाएँ से) निफ्ट मुख्यालय से  1) कर्नल विक्रांत लखनपाल, पंजीयक और  2) श्री विवेक सक्सेना, सहायक निदेशक (राजभाषा), और वस्त्र मंत्रालय से 3) श्रीमती अंशु गुप्ता, सहायक निदेशक (राजभाषा)  और 4) श्री राजेश कुमार, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी सभा को संबोधित करते हुए

अंतिम चरण में ऑनलाइन सत्र की तस्वीरें:-

समता
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
निफ्ट भोपाल